



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254755
CG-DL-E-18062024-254755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

फा. सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-खासुमाप्रा.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उपधारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में,

- क्र. सं. 35 और 46 का विलोप किया जायेगा;
- क्र. सं. 63 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित स्तंभों में रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	केंद्रीय खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	पोस्टिंग का स्थान	अधिकार क्षेत्र
64	सुश्री नेहा मेहतो	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
65	श्री नवीन के जे	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
66	श्री सुरेश बैरवा	दक्षिणी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
67	श्री आकुथोटा अखिल	दक्षिणी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश

68	श्री डुबे मारोती सखाराम	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
69	श्री पार्थिवन आ	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
70	श्री सुनील सांखला	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
71	श्री रोहन्त कुमार ढाका	उत्तरी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश”।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./184/2024-25]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासंमाप्रा., तारीख 2 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं.आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा, दिनांक 19 दिसम्बर 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Central Food Safety Officers for the area mentioned against each with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 2nd September, 2021:-

In the table;

(1) S. No. 35 and 46 shall be omitted;

(2) after Sr. no. 63, the following entries shall be inserted in the respective columns namely;

Sr. No.	Name of CFSOs	Place of Posting	Area of Jurisdiction
“64	Ms. Neha Mahto	Eastern Region	States/UTs under Eastern Region
65	Shri. Naveen K J	Eastern Region	States/UTs under Eastern Region
66	Shri. Suresh Bairwa	Southern Region	States/UTs under Southern Region
67	Shri. Akuthota Akhil	Southern Region	States/UTs under Southern Region
68	Sh. Dube Maroti Sakharam	Western Region	States/UTs under Western Region
69	Sh. Parthiban A	Western Region	States/UTs under Western Region
70	Sh. Sunil Sakhala	Western Region	States/UTs under Western Region
71	Sh. Rohant Kumar Dhaka	Northern Region	States/UTs under Northern Region”.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./184/2024-25]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated the 2nd September, 2021 and last amended vide notification F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI dated 19th December, 2023